NAVODAYA TIMES N. D. 20/12/2018

# वाहनों के टायर पर जी.एस.टी. दर को घटाकर 18 प्रतिशत कर सकती है जी.एस.टी. परिषद

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर (एजैंसी): वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) परिषद वाहनों के टायरों पर जी.एस.टी. दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। जी.एस.टी. परिषद की अगली बैठक शनिवार को है। यह कदम सबसे ऊंचे 28 प्रतिशत के कर स्लैब को तर्कसंगत बनाने के लिए उठाया जा सकता है।

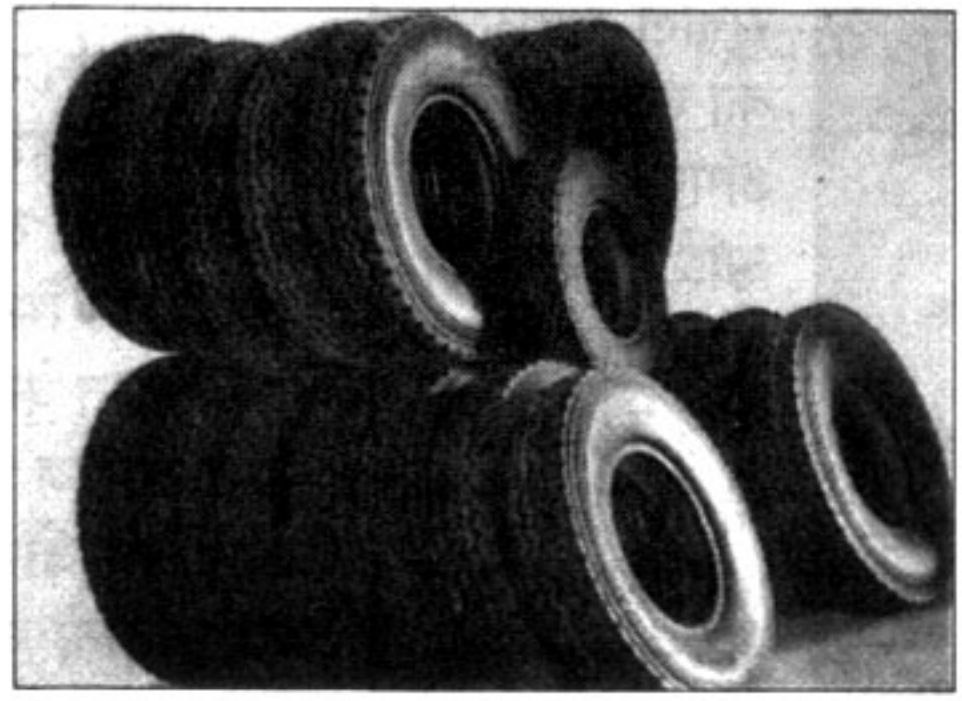

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा था कि 1,200 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं में से 99 प्रतिशत पर 18 प्रतिशत या उससे कम जी.एस.टी. लगेगा। एक अधिकारी ने कहा, "वाहन टायरों पर 28 प्रतिशत जी.एस.टी. से आम आदमी प्रभावित हो रहा है। 22 दिसम्बर को होने वाली जी.एस.टी. परिषद की बैठक में मुख्य ध्यान आम आदमी पर जी.एस.टी. का बोझ कम करने पर होगा।"

फिलहाल 28 प्रतिशत के ऊंचे कर स्लैब में 34 वस्तुएं हैं। इनमें वाहन टायर, डिजीटल कैमरा, एयर कंडीशनर, डिश वॉशिंग मशीन, सैट टॉपबॉक्स, मॉनिटर और प्रोजैक्टर के अलावा कुछ निर्माण उत्पाद मसलन सीमैंट शामिल हैं।

अधिकारी ने कहा कि सीमैंट पर कर की दर को घटाकर 18 प्रतिशत करने से सरकार पर करीब 20,000 करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ेगा, इसके बावजूद परिषद यह कदम उठा सकती है। जो उत्पाद 28 प्रतिशत कर स्लैब में कायम रखे जाएंगे उनमें शीतल पेय, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, धूम्रपान पाइप, वाहन, विमान, याट, रिवाल्वर और पिस्तौल तथा गैंबलिंग लॉटरी शामिल हैं।